ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर– नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0) ।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांक :– /ग्रे0नौ0/ वित्त/2021–22 दिनांकः 20 / 10 / 2021

कार्यालय आदेश

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 15.10.2021 दिए गए अनुमोदन के अनुपालन में Informal Sector के भूखण्डों जिनका एफ0ए0आर0–2 है, की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए) महोदय के कक्ष में बैठक हुई । बैठक में महाप्रबन्धक (वित्त), महाप्रबन्धक (परियोजना), विशेष कार्याधिकारी (बिल्डर्स), वरिष्ठ प्रबन्धक (नियोजन) ने प्रतिभाग किया। बैठक में Informal Sector के भूखण्डों जिनका एफ0ए0आर0–2 है, के दरो के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया कि प्राधिकरण की आवासीय योजना में Permissible FAR 1.80 है और आवासीय योजना की आवंटन दरें रू0 24,060.00 प्रति वर्गमीटर है, जो कि प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित है। एफ0ए0आर0 1.80 एवं एफ0ए0आर–2.00 जो कि समतुल्य है। एफ0ए0आर0 समतुल्य होने के कारण इसे आवासीय आवंटन दर को Informal Sector के दरो को लागू किया जाना उचित पाया गया । यह भी सूच्य है कि पूर्व में Informal Sector आवासीय योजनाओं के पार्ट थे, जिनमें प्राधिकरण द्वारा मकान बनाकर आवंटियों के लिए योजना लायी जाती थी। इसलिए इन भूखण्डो को बिल्डर्स भूखण्ड जिनका एफ0ए0आर0 3.5 है और उनकी वर्तमान दरें रू0 29,408.00 प्रतिवर्ग मीटर है, के समकक्ष रखा जाना उचित नही है।

बिल्डर विभाग के पत्रांक संख्याः 59546/ग्रे0नौ0/वित्त/2021–22 दिनांक 16.09.2021 एवं पत्र संख्याः 61779/ग्रे0नौ0/वित्त/2021–22 दिनांक 28.09.2021 द्वारा इर्न्फोमल सैक्टर के भूखण्डों की सूचना मांगी गयी थी, जो कि पत्र संख्याः ग्रे0नौ0/बिल्डर्स/2021/500 दिनांक 09.10.2021 द्वारा प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त भूखण्ड केवल सैक्टर–1 एवं 2 में स्थित है तथा उन सैक्टरों की आवासीय भूखण्ड की दर रू0 24,060/– है, जिसे दर निर्धारण समिति में प्रस्तुत करने का अनुमोदन दिनांक 11.10.2021 को प्राप्त है। नियोजन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार ग्रेटर नौएडा क्षेत्र की महायोजना–2021 के अनुसार (PMAY) की योजना आवासीय ग्रुप हाउसिंग/इनफोंमल सैक्टर के रिक्त भूखण्डों पर लायी जा सकती है। वर्तमान में आवासीय सैक्टर 1 व 2 में इर्न्फोमल सैक्टर के रिक्त भूखण्डों पर लायी जा सकती है। वर्तमान में आवासीय सैक्टर 1 व 2 में इर्म्फोमल सैक्टर के भूखण्ड नियोजित किये गये है जिस पर योजना लायी जानी प्रस्तावित है। उक्तानुसार इर्म्फोमल सैक्टर का विवरण निम्नानुसार है:–

क0स0	सैक्टर	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी0 में)
1	सैक्टर–01	इर्म्फोमल	33128
2	सैक्टर–01	इर्म्फोमल	35262
3	सैक्टर–02	IN-01	54680

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आवासीय योजना में प्रचलित न्यूनतम सैक्टर दर धनराशि रू0 24,060.00 को ही Informal Sector के एफ0ए0आर0–2 के भूखण्डों पर लागू किये जाने के प्रस्ताव पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसे आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। तदनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

Signed by
Hausila Prasad Verma
GM
20/10/21 13:14:42
(हौसिला प्रसाद वर्मा)
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपि–

1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ। FTS- 66037
2. स्टाफ ऑफिसर को, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी0 / ए0) को सूचनार्थ। FTS-66039/66041
3. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

GM(PL)-66042/GM(PRO)-66043/OSD(B)-66045/
OSD(C)-66047/AGM(INS)-66049/DGM(PRO)-66051/
MGR(IT)-66052/MGR(IND)-66053/DGM(SYS)-66123 - Website पर Upload हेतु।

महाप्रबन्धक (वित्त)